

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. +3155  
07 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

**पीएलआई योजना के तहत निवेश की उपलब्धियां**

+3155. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:  
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:  
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:  
श्री जनार्दन मिश्रा:  
श्री गोडम नागेश:

- क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है, साथ ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कितने प्रतिशत परियोजनाएं अपने प्रतिबद्ध निवेश लक्ष्य प्राप्त कर चुकी हैं;
  - (ख) पीएलआई योजना के अंतर्गत पीएलआई संवितरण प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के चयन हेतु प्रयुक्त मानदंड क्या हैं;
  - (ग) क्या आंध्र प्रदेश की किसी कंपनी का चयन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
  - (घ) पीएलआई लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बिक्री और निवेश सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं;
  - (ङ) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत स्वीकृत निवेशों में क्षेत्रीय असमानताएँ देखी हैं, विशेषकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तथा कम प्रसंस्करण क्षमता वाले राज्यों जैसे बिहार, ओडिशा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में;
  - (च) यदि हाँ, तो ऐसी असमानताओं को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय योजनाबद्ध हैं/योजनाबद्ध किए जा रहे हैं; और
  - (छ) क्या आंध्र प्रदेश में पीएलआई योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज या संबंधित अवसंरचना का निर्माण किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री रवनीत सिंह)**

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत, 278 परियोजनाओं के साथ 170 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं; जिसमें 277 स्वीकृत परियोजनाओं ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिबद्ध निवेश 7644.27 करोड़ रुपये है, जबकि वास्तविक निवेश 9032.11 करोड़ रुपये है जो प्रतिबद्ध निवेश का 118% है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत स्वीकृत इकाइयों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के चयन के लिए प्रयुक्त मानदंड **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग): आंध्र प्रदेश में पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत चयनित कंपनियों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ): पीएलआई प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बिक्री और निवेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक और चार्टर्ड इंजीनियरों से प्रमाण पत्र सहित एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है।

(ङ) और (च): पीएलआई योजना के तहत कुल 278 खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को मंजूरी दी गई है, जो भारत के 22 राज्यों में फैले हुए हैं।

(छ): आंध्र प्रदेश में पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत 1257.47 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। आंध्र प्रदेश में पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं सहित खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना में किए गए निवेश का जिलावार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "पीएलआई योजना के अंतर्गत निवेश की उपलब्धियां" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3155 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यवार क्षेत्र	आरटीसी/आरटीई	फल और सब्जियां	समुद्री उत्पाद	मोजेज. चीज़	जैविक/नवीन	मिलेट	कुल
आंध्र प्रदेश	1	9	26	0	0	2	38
असम	3	0	0	0	0	1	4
बिहार	4	3	0	0	0	0	7
छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0	0	1
गोवा	0	1	0	0	0	0	1
गुजरात	17	6	1	3	0	5	32
हरियाणा	6	0	0	0	1	2	9
हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	1	2	4
जम्मू और कश्मीर	2	0	0	0	0	0	2
झारखंड	1	1	0	0	0	0	2
कर्नाटक	4	8	1	0	1	7	21
केरल	0	7	0	0	3	0	10
मध्य प्रदेश	6	2	0	0	1	1	11
महाराष्ट्र	14	13	1	3	5	5	41
ओडिशा	2	2	1	0	0	0	5
पंजाब	1	5	0	0	0	3	9
राजस्थान	4	2	0	0	0	0	6
तमिलनाडू	3	8	1	0	1	7	20
तेलंगाना	3	5	0	0	0	5	13
उत्तर प्रदेश	18	6	0	0	2	1	27
उत्तराखंड	1	1	0	0	1	4	7
पश्चिम बंगाल	4	4	0	0	1	0	9
<b>कुल योग</b>	<b>95</b>	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>45</b>	<b>278</b>

आरटीई/आरटीसी: खाने के लिए तैयार/पकाने के लिए तैयार

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "पीएलआई योजना के अंतर्गत निवेश की उपलब्धियां" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3155 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

श्रेणियाँ खंड	न्यूनतम बिक्री	न्यूनतम निवेश
श्रेणी-I	आरटीई/आरटीसी	500
	प्रसंस्कृत फल और सब्जियां	250
	समुद्री उत्पाद	600
	मोल्जारेला चीज़	150
श्रेणी-II	<ul style="list-style-type: none"> <li>उद्योग आधार / उद्यमी पंजीकृत;</li> <li>प्रस्तावित उत्पाद के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान न्यूनतम 1 करोड़ रुपये की बिक्री</li> <li>प्रस्तावित जैविक उत्पाद के लिए एपीडा के साथ पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा ।</li> </ul>	
श्रेणी-III	<ul style="list-style-type: none"> <li>केवल भारतीय ब्रांड ही भारत में पूर्णतः निर्मित खाद्य उत्पादों को बेचने के लिए कवर किए जाते हैं;</li> <li>ब्रांडिंग और विपणन आवेदक द्वारा सीधे अथवा उसकी सहायक कंपनी या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा ।</li> </ul>	
मिलेट	<ul style="list-style-type: none"> <li>उपभोक्ता पैक में पैक किए गए और ब्रांडेड रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (आरटीसी/आरटीई) खाद्य उत्पाद, जिनमें उत्पाद संरचना में भार/आयतन के हिसाब से 15% से अधिक मिलेट हो।</li> <li>प्राथमिक प्रसंस्कृत मिलेट वस्तुएं जैसे छिलका रहित/पॉलिश किए हुए मिलेट अनाज, रंग-बिरंगे मिलेट अनाज और मिलेट आटा/आटा।</li> <li>बड़ी इकाई: खाद्य उत्पादों की न्यूनतम बिक्री 250 करोड़ रुपये से अधिक</li> <li>एमएसएमई: खाद्य उत्पादों की न्यूनतम बिक्री 2 करोड़ रुपये से अधिक</li> </ul>	

आरटीई/आरटीसी: खाने के लिए तैयार/पकाने के लिए तैयार

एफ एंड वी: फल और सब्जियां

एपीडा: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

एमएसएमई: सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु "पीएलआई योजना के अंतर्गत निवेश की उपलब्धियां" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3155 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

( करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	क्षेत्र	ज़िला	प्रतिबद्ध निवेश	रिपोर्ट किया गया निवेश
1	अश्विनी फिशरिज प्राइवेट लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	पूर्वी गोदावरी	88.44	1.01
2	अश्विनी फिशरिज प्राइवेट लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	पश्चिम गोदावरी	8.92	21.84
3	अवंती फ़ोज़न फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	काकीनाडा	38.85	69.27
4	अवंती फ़ोज़न फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	काकीनाडा	29.57	39.13
5	अवंती फ़ोज़न फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	पूर्वी गोदावरी	12.9	21.65
6	चॉइस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	बप्तला	80	93.85
7	देवी फिशरिज लिमिटेड	समुद्री उत्पादों	पूर्वी गोदावरी	5.13	7.58
8	देवी फिशरिज लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	पूर्वी गोदावरी	5.44	13.8
9	देवी फिशरिज लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	पूर्वी गोदावरी	91.19	104.48
10	देवी फिशरिज लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	पूर्वी गोदावरी	11.5	19.89
11	देवी सी फूड्स लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	प्रकाशम	44.8	55.92
12	देवी सी फूड्स लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	पश्चिम गोदावरी	22.14	9.92
13	देवी सी फूड्स सीमित	समुद्री उत्पाद	पश्चिम गोदावरी	9.61	12.39
14	देवी सी फूड्स लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	सिंगरायकोंडा	2.56	7.39
15	फूड्स एंड इन्स लिमिटेड	फल और सब्ज़ियाँ	चित्तूर	5.50	7.62
16	कोस्टल फूड्स	मिलेट एमएसएमई	गुंटूर	0	0
17	आईटीसी लिमिटेड	फल और सब्ज़ियाँ	गुंटूर	123.88	127.2
18	आईटीसी लिमिटेड	फल और सब्ज़ियाँ	गुंटूर	3	4.96
19	आईटीसी लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	गुंटूर	37.77	33.13
20	आईटीसी लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	गुंटूर	37.78	44.91
21	आईटीसी लिमिटेड ( एसपी एडिबल्स)	फल और सब्ज़ियाँ	गुंटूर	3.41	3.34
22	आईटीसी लिमिटेड (श्री साई एग्रो)	फल और सब्ज़ियाँ	गुंटूर	2.86	16.12
23	एमटीआर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	फल और सब्ज़ियाँ	गुंटूर	24.33	26.52
24	नेक्कंती सी फूड्स लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	पूर्वी गोदावरी	40	41.38
25	नेक्कंती सी फूड्स लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	नेल्लोर	9.75	10.9
26	नेक्कंती सी फूड्स लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	नेल्लोर	31.64	32.84
27	पार्ले बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	आरटीसी/आरटीई	चित्तूर	15.38	56.98
28	त्रेता एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	मिलेट एमएसएमई	चित्तूर	0	0
29	संध्या एका	समुद्री उत्पाद	काकीनाडा	97	125.61
30	संध्या एका	समुद्री उत्पाद	कृष्णा	5	3.73
31	संध्या एका	समुद्री उत्पाद	कृष्णा	10	6.65
32	संध्या एका	समुद्री उत्पाद	पूर्वी गोदावरी	68.23	47.72
33	संध्या मरीन्स लिमिटेड	समुद्री उत्पाद	प्रकाशम	8.35	25.29
34	संध्या मरीन्स लिमिटेड	समुद्री उत्पादों	पश्चिम गोदावरी	1.6	5.99
35	संध्या मरीन्स लिमिटेड	समुद्री उत्पादों	पश्चिम गोदावरी	80.31	82.72
36	सिंथाइट इंडस्ट्रीजपी लिमिटेड	फल और सब्ज़ियाँ	प्रकाशम	44.62	56.86
37	टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड	फल और सब्ज़ियाँ	चित्तूर	8.86	8.86
38	टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड	फल और सब्ज़ियाँ	पूर्वी गोदावरी	9.14	10.02
	कुल			1119.46	1257.47